भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2788
दिनांक 18 मार्च, 2025 / 27 फाल्गुन, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

ग्रुप होम का कार्यशील होना

†2788. श्री मनीश तिवारीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि चंडीगढ़ के सेक्टर 31 में नवनिर्मित ग्रुप होम का निर्माण कार्य पूरा हो जाने और उसके सुसज्जित होने के बावजूद वह अभी तक प्रचालनरत नहीं है और यदि हां, तो विलंब के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस संस्थान हेतु कर्मचारियों और व्यावसायिक अनुदेशकों की भर्ती हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को विलंब के संबंध में प्रभावित परिवारों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो उन पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) ग्रुप होम के तत्काल संचालन और पात्र व्यक्तियों के समय पर प्रवेश देना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 की धारा 19 के अनुसार, ग्रुप होम का निर्माण मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के पुनर्वास की प्रक्रिया में सफलता प्राप्त करने के लिए किया गया है। यह ग्रुप होम उन व्यक्तियों के लिए भी है, जिनके पास अनुकूल परिवार नहीं है, जो उन्हें आवश्यक देख-रेख प्रदान कर सके।

ग्रुप होम में प्रवेश के लिए दिनांक 17.02.2025 को विज्ञापन जारी कर दिया गया है। वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार कर्मचारियों की भर्ती की जा चुकी है।

*****